न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 63/2015
निर्णय दिनांक : 28/7/2022

उनवान

1. जगदीश
2. कन्हैयालाल
3. प्रभू
4. लालाराम
5. रमेश
6. मदन
} पिसरान् मंगला

7. प्रहलाद
8. लक्ष्मीनारायण
} पि0 गणेश

समस्त जाति बागडा ब्राहमण, निवासीगण ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र चून्या
2. रामकरण
3. श्रवण
4. रामेश्वर
} पिसरान् मोतीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम दयालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5. भौरया पुत्र चन्दा
6. सोहन पुत्र चन्दा (मृतक दौराने वाद)
   6/1. श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व0 सोहन
   6/2. जगदीश शर्मा पुत्र स्व0 सोहन
   6/3. नोरती देवी पुत्री स्व0 सोहन
   6/4. विष्णु शर्मा स्व0 सोहन
7. शंकर पुत्र चन्दा
8. बंशीलाल | पि0 महादेव
9. लालाराम |

समस्त जाति बागडा ब्राहमण, निवासीगण ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी एवं स्थायी निशेधाज्ञा अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ग्राम खेतापुरा एवं दयालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम दयालपुरा गिरदावर सर्किल [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो हाल जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खसरा संख्या 62, 93 व 95

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

दर्ज है, जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है तथा निम्नालिखित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का हक– हिस्सा इंच टू इंच निहित है जिसे वादपत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है जो निम्न प्रकार है।

(अ) खाता संख्या 62 के खसरा नम्बर 909 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 913 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 तथा 7 व 8 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/16, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का 1/16 एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/16 हिस्सा निहित है।

(ब) खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 884 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हक्टेयर बारानी अव्वल जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 एवं वादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 5/8 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 3/8 निहित है।

(स) खाता संख्या 95 के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.36 हैक्टेयर एवं 935 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 एवं वादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सख्ंया 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 निहित है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर मनबंट से विभाजन कर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण खसरा नम्बर 909 व 913 में अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 909 की सम्पूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे है तथा दिनांक 16.03.2015 को खसरा नम्बर 913 में भी अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि में बाउण्ड्रीवॉल बनाने हेतु नींव खोदना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 909, 910 व 912 जो नजरी नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 913 की भूमि से लगवा है में बिना किसी अनुमति के पुख्ता निर्माण कर मकान बनाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक–अधिकार प्राप्त नही है। चूकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है बिना विभाजन कराये प्रतिवादीगण किसी विशिष्ठ भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कराने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 16.03.2015 से खसरा नम्बर 909, 910 912 व 913 की कृषि भूमि पर जबरन लाठी के बल पर मकान कार्य करना शुरू कर दिया है। नजरी नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 909 की भूमि र गटर–बाथरूम व बाउण्ड्रीवॉल बनाने के लिए नीवे खोद दी है जिससे वादीगण को कुए पर जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध [illegible] प्रतिवादीगण को जब वादीगण ने दिनांक 16.03.2015 को अतिक्रमण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे तो अपनी मनमर्जी से पुख्ता निर्माण [illegible] अदालत व पुलिस हमारा कुछ नही बिगाड सकती और न ही [illegible] करायेंगे जिससे वादकारण उत्पन्न होकर लगातार उत्पन्न होने दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना लाजिमी हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से एडवोकेट श्री रामावतार दिनकर उपस्थित हुये। दिनांक 29.11.2016 को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। आगामी तारीख पेश पर जवाब दावा पेश नही करने पर स्वतः ही जवाब का अवसर बंद समझा जावेगा। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 से 9 की तलबी हेतु तलवान नोटिस की रसीद पेश की। दिनांक 12.07.2016 को रजिस्ट्री करवाई गई थी। रजिस्ट्री बाद तामिल/अदम तामिल लौटकर नही आयी है। रजिस्ट्री करवाये हुए दो माह से अधिक समय हो चुका है। बाद तामिल अदम तामिल लौटकर नही आये है। इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 25.04.2017 को वकील वादी श्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित, वकील प्रतिवादी को कई बार आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नही हुये। अतः वकील प्रतिवादी / प्रतिवादी कोई उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। दिनांक 25.07.2017 वकील उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष की प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 पर बहस सुनी गयी। वकील वादी की सहमति में प्रा0 पत्र आदेश 9 नियम 7 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अमल में लाई गई, एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.04.2017 को अपास्त किया जाता है। वकील प्रतिवादी को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप में जवाब पेश करने के लिए कहा गया। दिनांक 09.01.2018 को वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जवाब पेश नही कर रहा है। आज भी जवाब पेश नही किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली जवाब में दिनांक 01.08.2017 से लम्बित है। प्रतिवादी वकील के जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 की पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। वकील वादी की वाद पर एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी की द्वारा साक्ष्य पेश किये जो पत्रावली में संलग्न है। बहस वकील वादी सुनी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर दिनांक 07.01.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक 3637 दिनॉक 25.09.2021 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रेषित की गई जो शामिल मिसल है। दिनांक 01.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 एवं प्रतिवादी संख्या 6 के विधिक वारिसान् को समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने दिनांक 15.02.2022 को संशोधित उनवान पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण अनुपस्थित, वकील वादीगण, वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रा[illegible] प्रविष्टि में वादी प्रहलाद पुत्र गणेश का हिस्सा 1/16 एवं लक्ष्मीना[illegible] पु[illegible]णेश का हिस्सा 1/16 सहवन से अंकित हो गया है। प्रह[illegible]16 एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश का हिस्सा 1/16 के [illegible]णेश का हिस्सा 1/8 एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश का हिस्सा 1/8 अंकित [illegible]रवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सांगानेर को न्यायालय के पत्रांक 2020/492 दिनांक 18.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सांगानेर के पत्रांक 1109

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर द्वितीय (साँगानेर)

दिनांक 23.02.2022 के द्वारा ग्राम दयालपुरा के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.36 है0 की प्रस्तावित प्रविष्टि में खातेदार प्रहलाद पुत्र गणेश का हिस्सा 1/8 एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश का हिस्सा 1/8 अंकित करने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई, जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वादी पर मनन किया जाने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 62 के खसरा नम्बर 909 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै0मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 913 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 तथा 7 व 8 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/16, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का 1/16 एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/16 हिस्सा निहित है। खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 884 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हक्टेयर बारानी अव्वल जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 एवं वादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 5/8 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 3/8 निहित है। खाता संख्या 95 के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.36 हैक्टेयर एवं 935 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 3/4 एवं वादी संख्या 7 व 8 का 1/4 दर हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 निहित है जो वाके ग्राम दयालपुरा गिरदावर सर्किल वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

<u>राजस्व जमाबन्दी के मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–</u>

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 15/32, प्रहलाद पुत्र गणेश हि0 5/64, विला रहन लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश हि0 5/64 राहिन इण्डियन बैंक शाखा बीलवा, रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि0 3/8 यूको बैंक शाखा बीलवा, कौम बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	884	0.05	चाही 1 0.04 जाव 1 0.01	1.44 0.18
		885	0.26	चाही 1 0.21 जाव 1 0.05	7.56 0.90
		886	[illegible]	जाव 1 0.07 चाही 1 0.28 चाही 1 0.12	1.26 10.08 4.32
		887	[illegible]	जाव 1 0.03 चाही 1	0.54 6.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

26 2022, 18:43

		888	0.23	0.18 जाव 1 0.05	0.90
	योग	05	1.04		33.66

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि					
क्र0 सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/8, प्रहलाद पुत्र गणेश हि0 1/16, विला रहन लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश हि0 1/16 राहिन इण्डियन बैंक शाखा बीलवा, रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि0 1/2 राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा मर्तहीन कौम बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	928 935	0.36 0.36	चाही 1 0.29 जाव 1 0.07 चाही 1 0.29 जाव 1 0.07	10.44 1.26 10.44 1.26
	योग	02	0.72		23.40

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि					
क्र0 सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	पन्नालाल पि0मु0 चून्या हि0 3/16 राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक सांगानेर, प्रहलाद लक्ष्मीनारायण पि0 गणेश हि0 1/8	909	0.03	गै0मु0 चाह	–
	जगदीश, कन्हैया लाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/8, विला रहन भोरीलाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/48 राहिन यूको बैंक शाखा सीतापुरा औधोगिक क्षैत्र, सोहन शंकर पि0 चन्दा हि0 1/24 बंशीलाल लालाराम पि0 महादेव हि0 1/16 विला रहन रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि0 3/16 राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा जाति बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	913	0.86	चाही 1	30.96
	योग	2	0.89	–	30.96

<u>प्राथमिक डिक्री के मुताबिक कुर्रेजात निम्न प्रकार है:–</u>

वर्तमान [illegible]					
क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	[illegible]क्टेयर)	किस्म	लगान
	जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/4, प्रहलाद पुत्र गणेश हि0 1/8, विला रहन लक्ष्मीनारायण	884 885 886 887 888	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 0.23	चाही 1 चाही 1 0.21 जाव 1 0.05	1.08 7.56 0.90 3.60 0.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

पुत्र गणेश हि0 1/8 राहिन इण्डियन बैंक शाखा बीलवा जाति बागडा ब्राह्मण सा0 खेतापुरा			चाही 1 जाव 1 चाही 1 0.18 जाव 1 0.05	6.48 0.90
	05	0.65		21.06

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि.ब. राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा कौम बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	884	0.02	चाही 1 0.01 जाव 1 0.01	0.36 0.18
		886	0.25	चाही 1 0.18 जाव 1 0.07	6.48 1.26
		887	0.12	चाही 1	4.32
		05	0.39		12.60

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/4, प्रहलाद पुत्र गणेश हि0 1/8, विला रहन लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश हि0 1/8 राहिन इण्डियन बैंक शाखा बीलवा, जाति बागडा ब्राह्मण सा0 खेतापुरा	928	0.36	चाही 1 0.29 जाव 1 0.07	10.44 1.26
	योग	01	0.36		11.70

	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
	रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि.ब. राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा कौम बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	935	0.36	चाही 1 0.29 जाव 1 0.07	10.44 1.26
		01	0.36		11.70

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/4, प्रहलाद लक्ष्मीनारायण पि0 गणेश हि0 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा0.खेतापुरा	913 मि0	0.43	[illegible]	15.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

2022, 18:43

	योग	01	0.43		15.48

	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
क्र0 सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	पन्नालाल पि0मु0 चून्या हि0 3/8 राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक सांगानेर, भौरीलाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/24 राहिन यूको बैंक शाखा सीतापुरा औधोगिक क्षैत्र, सोहन शंकर पि0 चन्दा हि0 1/12 बंशीलाल लालाराम पि0 महादेव हि0 1/8 विला रहन रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि0 3/8 राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा जाति बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	913 मि.	0.43	चाही 1	15.48
		01	0.43		15.48

	वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टि				
क्र0 सं0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
	पन्नालाल पि0मु0 चून्या हि0 3/16 राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक सांगानेर, प्रहलाद लक्ष्मीनारायण पि0 गणेश हि0 1/8 जगदीश, कन्हैयालाल, प्रभू, लालाराम, रमेश, मदन पि0 मंगला हि0 3/8, विला रहन भौरीलाल पुत्र रामचन्द्र हि0 1/48 राहिन यूको बैंक शाखा सीतापुरा औधोगिक क्षैत्र, सोहन शंकर पि0 चन्दा हि0 1/24 बंशीलाल लालाराम पि0 महादेव हि0 1/16 विला रहन रामकरण रामेश्वर श्रवण पि0 मोतीलाल हि0 3/16 राहिन यूको बैंक शाखा बीलवा जाति बागडा ब्रा. सा0 खेतापुरा	903	0.03	गै0मु0 चाह	–
	योग	1	0.03		

उपरोक्त विभाजनानुसार पृथक–पृथक खाता कायम किया जावे एवं पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे तथा नक्शे में तरमीम किये जावे। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर